

न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-300582 / 2015

संस्थित दिनांक-01.07.2015

फाईलिंग क्र.234503006612015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

भगतसिंह पिता दशरथ, उम्र-21 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम महुआटोला, पाण्डुतला,
थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-29/08/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-16.04.2015 को रात्रि 8:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम महुआटोला (पाण्डुतला) में अपने घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी बैसाखू मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर, आहत बैसाखू मेरावी को दाहिने हाथ की अंगुली व बांये गाल में दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बैसाखू मेरावी ने दिनांक-17.04.2015 को पुलिस थाना गढ़ी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-16.04.2015 को रात्रि 8:00 बजे पाण्डुतला बाजार से वापस घर आ रहा था, तब उसके भाई दशरथ के घर के सामने उसके भतीजे भगतसिंह व कुंवरसिंह मिले थे, तब फरियादी ने उनसे कहा था कि कौन बैठे हो। इसी बात को लेकर फरियादी के दोनों भतीजों ने उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर मारपीट

की थी एवं जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। अभियुक्त भगतसिंह ने फरियादी को दांत से दाहिने हाथ की उंगली एवं बांये गाल में काटा था। घटना को फरियादी के दामाद गनपतसिंह धुर्वे ने देखा था। पुलिस थाना गढ़ी ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक-27/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-16.04.2015 को रात्रि 8:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम महुआटोला (पांडुतला) में अपने घर के सामने आहत बैसाखू मेरावी को दाहिने हाथ की अंगुली व बांये गाल में दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

6- बैसाखू अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की ग्राम महुआटोला की है। घटना के समय उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था एवं धक्का-मुक्की हो गई थी, इस कारण वह नीचे गिर गया था और उसे चोट आई थी। अभियुक्त ने साक्षी को दांत से नहीं काटा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना गढ़ी में लेख कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर मौकनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान लेख किये गए थे। फरियादी बैसाखू अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत बैसाखू मेरावी को दाहिने हाथ की अंगुली व बांये गाल

में दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7- प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

8- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)